

प्रस्तुति 24क
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्तुति आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम : लोकतांत्रिक पार्टी
2. राजनीतिक दल की प्रास्तिति (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : मान्यताप्राप्त
3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता :
4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ३१-२१/७ नवम्बर २००५ दिन रात्रि १०५५
5. स्थायी खाता सं.(पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है..... २०५५ (६०५५.)
6. वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, वौरे -

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
१	२०५५	२०५५	१०५५	१०५५	—

* चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अमिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, दूरुन्नेकावादी (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुति में दो गई जानकारी ठीकी, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से राष्ट्रीय फैशन्शन की अपनी हैसियत में इस प्रस्तुति को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

तारीख : ११/११/२००५
स्थान : २०५५ (६०५५.)

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

हरगुन मेघाननी
राष्ट्रीय अध्यक्ष
लोकसंघ कांग्रेस पार्टी (डीज.)
रायपुर छत्तीखण्ड